



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय
OFFICE OF THE
आयकर आयुक्त,
COMMISSIONER OF INCOME TAX,
जयपुर-द्वितीय, जयपुर
JAIPUR-II, JAIPUR

PAN No. AACTS 1667F

क्र: आ०आ०/जेपीआ०-॥/आ०आ०(त० एवम न्या०)/१९०/२००९-१०/१७९८

दिनांक:— ०९.०३.२०१०

सुमेधा,
 ५-कैशव विहार,
 गोपालपुरा बाई-पास, जयपुर।

महोदय,

विषय:—आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८०जी(५)(vi) के अन्तर्गत छूट प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु।

उपर्युक्त विषय में आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक ०८.०३.२०१० का अवलोकन करें। इसके साथ आपने आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८०जी(५)(vi) के अन्तर्गत छूट हेतु प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपका धारा ८०जी(५)(vi) के अन्तर्गत छूट हेतु नवीनीकरण ३१.०३.२०१० तक हो चुका है। आयकर अधिनियम में वर्ष २००९ में किये गये संशोधन के अनुसार जिन संस्थाओं के अक्टूबर-२००९ के बाद तक धारा ८०जी(५)(vi) के तहत छूट मिली हुई है, उन्हे पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। अतः आपको धारा ८०जी(५)(vi) के तहत पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(जी.डी. शर्मा)

आयकर अधिकारी (त० एव न्या०),
 कृते आयकर आयुक्त, जयपुर-द्वितीय,
 जयपुर।